



कार्यालय संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ
सतपुड़ा भवन, भोपाल मध्यप्रदेश

क्रमांक 175
भोपाल, दिनांक 25.4.19

:: आदेश ::

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सुदृढ़ संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु पूर्व में जारी समस्त कार्यक्रम प्रभारी/नोडल अधिकारियों संबंधित निर्देश निरस्त करते हुये निम्नानुसार नवीन जिला कार्यक्रम/नोडल अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं:-

क्रं.	पदाधिकारी	जिला कार्यक्रम अधिकारी के रूप में आवंटित कार्यक्रम	सहायक कार्यक्रम अधिकारी*
1	2	3	4
1.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	आई.डी.एस.पी. आयुष्मान भारत क्वालिटी एश्योरेंस शिशु स्वास्थ्य, नर्सिंग शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आशा ई-हॉस्पिटल, आई.टी. एच.एम.आई.एस., मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रशिक्षण हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम	डी.एस.ओ. डी.पी.एम. डी.पी.एम. डी.पी.एम. डी.पी.एच.एन.ओ. डी.पी.एम. डी.पी.एम. डी.सी.एम. डी.एम.एवं ई.एम. डी.एम.एवं ई.एम. डी.पी.एम. डी.पी.एम. डी.पी.एम. डी.ई.आई.एम.
2.	सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक	आयुष्मान भारत (जिला चिकित्सालय) क्वालिटी एश्योरेंस (कायाकल्प) ई-हॉस्पिटल, आई.टी.	आर.एम.ओ. आर.एम.ओ. आर.एम.ओ.
3.	जिला स्वास्थ्य अधिकारी-01	मातृत्व स्वास्थ्य	डी.पी.एम.
4.	जिला स्वास्थ्य अधिकारी-02	परिवार कल्याण कार्यक्रम	डी.पी.एम.
5.	जिला मलेरिया अधिकारी	वाहक जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम	डी.पी.एम.
6.	जिला क्षय अधिकारी	राष्ट्रीय पुनरीक्षित क्षय नियंत्रण कार्यक्रम राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोग, आघात रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	डी.पी.एम. डी.पी.एम. डी.पी.एम.

7.	जिला कुष्ठ अधिकारी	कुष्ठ उन्मूलन	डी.एल.सी.
8.	जिला टीकाकरण अधिकारी	टीकाकरण कार्यक्रम, शिशु स्वास्थ्य पोषण,	डी.पी.एम. डी.पी.एम.
9.	वरिष्ठतम नेत्र विशेषज्ञ/ नेत्र शल्य चिकित्सक	अंधत्व निवारण कार्यक्रम	डी.पी.एम.

* (जहां पर पदस्थ/नियुक्त है।)

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों का आवंटित उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त भी समस्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व है। समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं अन्य जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रत्येक माह में पृथक-पृथक कार्यक्रमवार समीक्षा करेंगे एवं 01 माह में न्यूनतम 04 सेक्टर बैठक/विकासखण्डवार बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आयोजित जिला स्तर एवं विकासखण्ड स्तर की गतिविधियों का क्रियान्वयन एवं गतिविधिवार वित्तीय बुकिंग का उत्तरदायित्व सहायक कार्यक्रम अधिकारी एवं जिला लेखा प्रबंधक का भी समान रूप से रहेगा। जिला लेखा प्रबंधक प्रत्येक माह में आयोजित गतिविधियों के भुगतान एवं गतिविधिवार वित्तीय बुकिंग के लिये उत्तरदायित्व रहेंगे।

8/24/4

(नीतेश व्यास)

आयुक्त स्वास्थ्य

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,

मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 25.11.2019

पृष्ठ क्रमांक 176 / 2019

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश, भोपाल।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्यप्रदेश भोपाल।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश।
5. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
6. समस्त क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
7. समस्त राज्य कार्यक्रम अधिकारी (उपसंचालक/संयुक्त संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन/संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) मध्यप्रदेश।
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मध्यप्रदेश।
9. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
10. समस्त जिला स्वास्थ्य अधिकारी-01, मध्यप्रदेश।
11. समस्त जिला स्वास्थ्य अधिकारी-02, मध्यप्रदेश।
12. समस्त जिला मलेरिया अधिकारी, मध्यप्रदेश।
13. समस्त जिला क्षय अधिकारी, मध्यप्रदेश।
14. समस्त जिला कुष्ठ अधिकारी, मध्यप्रदेश।
15. समस्त जिला टीकाकरण अधिकारी, मध्यप्रदेश।
16. समस्त डी.पी.एच.एन.ओ., मध्यप्रदेश।
17. समस्त नेत्र विशेषज्ञ/नेत्र शल्य चिकित्सक, मध्यप्रदेश।
18. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, मध्यप्रदेश।

8/24/4

आयुक्त स्वास्थ्य

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,

मध्यप्रदेश